कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर

कार्यालय आदेश

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत दिनांक–12.07.2021 को सम्पन्न काउन्सिलिंग में पंचायत नियोजन इकाई द्वारा बरती गई अनियमितता से संबंधित प्राप्त शिकायत की जाँच त्रिसदस्यीय समिति से कराई गई।

त्रिसदस्यीय समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक–12.07.2021 को निम्नांकित पंचायत नियोजन इकाई में सम्पन्न काउन्सिलिंग रद्द किया जाता है।

क्र०सं०	प्रखंड	पंचायत नियोजन इकाई का नाम
01	सरायरंजन	मणिकपुर
02	उजियारपुर	अंगार
03	शिवाजीनगर	मधुरापुर
04	मोहनपुर	डुमरी उत्तरी

संबंधित पंचायत नियोजन इकाई के सचिव दिनांक–12.07.2021 को सम्पन्न काउन्सिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र उन्हें हस्तगत कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावेंगे।

ह०/–
जिला शिक्षा पदाधिकारी
समस्तीपुर।

ज्ञापांक : 1701 / समस्तीपुर, दिनांक 30 / 07 / 2021

प्रतिलिपि : संबंधित पंचायत नियोजन इकाई के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे जिले के NIC के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट किया जाय।
प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

30.07.2021

जिला शिक्षा पदाधिकारी
30/7/21 समस्तीपुर।

Scanned by CamScanner